संख्या- 04 /2019/ 384/94-1-2019-218(1)/ 2017 टी0सी0-।।

प्रेषक,

लालू,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 22 अप्रैल, 2019**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3612/नौ-104(मुख्यालय)/2019दिनांक 04.04. 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक मतदेय मद में रू0 1460.06 लाख (रूपये चौदह करोड़ साठ लाख छः हजार मात्र) एवं 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर मतदेय मद में रू0 15183.99 लाख (रूपये एक अरब इक्यावन करोड़ तिरासी लाख निन्यानवे हजार मात्र) इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रू0 16644.05 लाख (रूपये एक अरब छाछठ करोड़ चौवालिस लाख पांच हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैंडबुक के नियमोंतथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकारअथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालनसुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैनुअलमें दिये गये निर्देशोंएवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालनसुनिश्चित किया जाय साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्सियल

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रोप्राइटी)का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बीस-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है। अत: उक्त आदेश में निहित निर्देश/ प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-04/2019/384/94-1-2019-218(1)/2017टी.सी.-।। दिनांक 22 अप्रैल 2019 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान	आय-व्ययक अनुमान 2019 - 20	वित्तीय वर्ष 2018-19हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	01- वेतन	42.00	42.00	
2	03- मंहगाई भत्ता	6.30	6.30	
3	04- यात्रा व्यय	0.60	0.60	
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50	
5	06- अन्य भत्ते	0.50	0.50	
6	07- मानदेय	0.01	0.01	
7	08- कार्यालय व्यय	1.00	1.00	
8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.50	
9	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50	
10	16 व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.20	1.20	
11	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिकव्यय	0.05	0.05	
12	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.20	
13	49- चिकित्सा व्यय	1.50	1.50	
14	51- वर्दी व्यय	0.01	0.01	
15	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2.39	2.39	
16	55- मकान किराया भत्ता	1.50	1.50	
17	56- नगर प्रतिकर भत्ता	0.50	0.50	
18	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.80	0.80	
	योग 03 मतदेय	60.06	60.06	
	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 101 स्टाम्पों की लागत 03-न्यायिक स्टाम्प			
19	42 अन्य व्यय	500.00	500.00	
	योग 101	500.00	500.00	
	अनुदान संख्या-91 राजस्वलेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय 03-न्यायिक स्टाम्प			
20	42 अन्य व्यय	900.00	900.00	

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान	आय-व्ययक अनुमान 2019 - 20	वित्तीय वर्ष 2018-19हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
	योग 102	900.00	900.00	
	योग 01 मतदेय	1460.06	1460.06	

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 001- निदेशन तथा प्रशासन 03- अधिष्ठान

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	01- वेतन	65.00	65.00	
2	03- मंहगाई भत्ता	9.75	9.75	
3	04- यात्रा व्यय	0.65	0.65	
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05	0.05	
5	06- अन्य भत्ते	0.50	0.50	
6	07- मानदेय	0.10	0.10	
7	08- कार्यालय व्यय	7.00	7.00	
8	09- विद्युत देय	0.80	0.80	
9	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.50	2.50	
10	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00	
11	13- टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50	
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.50	3.50	
13	19 विज्ञापन बिक्री और विख्यापन पर व्यय	0.05	0.05	
14	42 अन्य व्यय (मतदेय)	0.01	0.01	
15	42 अन्य व्यय (भारित)	0.01	0.01	
16	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.15	0.15	
17	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.40	0.40	
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेर का क्रय	1.00	1.00	
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50	
20	49- चिकित्सा व्यय	1.00	1.00	
21	51- वर्दी व्यय	0.15	0.15	
22	52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.88	3.88	
23	55- मकान किराया भत्ता	3.00	3.00	

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम संख्या	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान	आय-व्ययक अनुमान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित धनराशि	अभ्युक्ति
24	56- नगर प्रतिकर भत्ता	1.00	1.00	
25	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.50	2.50	
	योग 01 मतदेय	108.99	108.99	
	भारित	0.01	0.01	
26	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02- स्टाम्पन्यायिकेत्तर,101-स्टाम्पों की लागत, 03- गैर अदालती स्टाम्प			
	42-अन्य व्यय	9000.00	9000.00	
	योग 101	9000.00	9000.00	
27	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030- स्टाम्प पंजीकरण, 02- स्टाम्प न्यायिकेत्तर,102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय, 03- गैर अदालती स्टाम्प			
	42-अन्य व्यय	6000.00	6000.00	
	योग 102	6000.00	6000.00	
28	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 800अन्य व्यय 03 निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण			
	42-अन्य व्यय	70.00	70.00	
	योग 800	70.00	70.00	
29	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 800 अन्य व्यय 04 वाटरमार्क पेपर की विक्री पर व्यय			
	42-अन्य व्यय	5.00	5.00	
	योग 800	5.00	5.00	
	योग 02 मतदेय	15183.99	15183.99	
	भारित	0.01		
	कुल योग 01 स्टाम्प न्यायिक 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर- 15183.99 लाख (रूपये एक अरब इक्यावन करोड़ तिरासी लाख निन्यानवे हजार मात्र)			
	भारित 0.01			

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।